प्रायः चिकित्सा दावे निम्नलिखित कारणों से लौटाये जाते है यद्यपि इनमें से कुछ अत्यंत गौण है तथापि इन्हे उपेक्षित नही किया जा सकता है, अतः दावों का प्रेषण निम्न कमियों को दूर करतें हुए करना चाहिए:-

1. क्या दावाकर्त्ता के द्वारा एम0ई0डी0 97 ठीक प्रकार से पूर्ण कर ली गई है तथा आवश्यक स्थान पर राजस्व टिकिट के साथ हस्ताक्षर किये गये है?
2. क्या दावे पर दावाकर्त्ता के नियंत्रक अधिकारी के द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कर दिये गए है?
3. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुभाग में बनी हुई नमूना हस्ताक्षर पंजिका में नियंत्रण प्राधिकारी के हस्ताक्षरों का सत्यापन।
4. दावाकर्त्ता के साथ ही नियंत्रण प्राधिकारी ने दिनांक के साथ हस्ताक्षर नही किये है।
5- दावे में दावाकर्त्ता के द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया है कि सरकारी आदेशों के अनुसार दावे के लिए विशेष संवीक्षा (serutiny) की आवश्यकता है क्योंकि दावाकर्त्ता ने 1000/- रु0 से अधिक का प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया है। (संदर्भ परिशिष्ट-12 सी0एस0एम0ए0 नियमावली)
6- दावे में किये गए सभी प्रकार के संशोधनों का प्रमाणीकरण दावाकर्त्ता/नियंत्रण प्राधिकारी/चिकित्सक द्वारा नही किया गया है।
7. दावा राशि को अंको तथा शब्दों में नही दर्शाया गया है।
8- क्या उपचार प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी (ए.एम.ए.) के परामर्श कक्ष में लिया गया है एवं दस दिवस में पूर्ण कर लिया गया है तथा यदि इससे अधिक उपचार लिया गया है तो यह बाह्य रोगी विभाग (OPD) में बाह्यरोगी विभाग से प्राप्त विभाग के क्रमांक वाली पर्ची प्राप्त नही की गई हैं (संदर्भः नियम-6 निर्णय संख्या 1)
9- चिकित्सक द्वारा Essential Certificete पूर्ण नही किया गया है।
10. परामर्श की तिथि स्पष्ट नही है।
11. मुहर में चिकित्सक, डिग्री, पंजीकरण सख्या, पद तथा अस्पताल जिसमें कार्यरत है, स्पष्ट प्रदर्शित नही है।
12. चिकित्सक द्वारा दी गई दवाइयों की पर्ची चिकित्सक अथवा अस्पताल के द्वारा नियमित रुप से छपे हुए पैड पर नही है।
13. चिकित्सक द्वारा दी गई दवाइयों की पर्ची में दिनांक, रोगी का नाम तथा आयु, उपचार की अवधि तथा औषधियों की खुराक संबंधी जानकारी स्पष्ट प्रदर्शित नही है।
14- दवाइयों की रसीद (Cash Memo) पर राशि को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी (AMA) के हस्ताक्षर नही है।
15- प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी (AMA) के हस्ताक्षर किये जाने के उपरान्त बिल की प्रविष्टियों में संशोधन किया गया है अथवा इन संशोधनों को प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी (AMA) द्वारा सत्यापित नही किया गया है।
16- प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी (AMA) के हस्ताक्षर Essential Certificate, परामर्शपर्ची, रसीद आदि में एक दूसरे से मेल नही खा रहे है।
17- सी0एस0एम0ए0 नियम के नियम-2 एवं अध्याय-4 के अनुसार आश्रिता प्रमाण पत्र (Dependency Certificate) नियंत्रण प्राधिकारी के द्वारा स्वीकृत/प्रतिहस्ताक्षरित नही है।
18- सरकारी अस्पताल से वैद्य अनुपब्धता प्रमाण पत्र (NAC) के बिना ही लेबोरेटरी जाँच निजी लैब से करवाई है।

19- सी0एस0एम0ए0 नियम-6 निर्णय-4 के अनुसार जिले के बाहर लिये गये विशिष्ट उपचार के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) का तथा राज्य से बाहर उपचार की स्थिति में निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ (DHS) का रैफरल पत्र दावे के साथ में संलग्न नही है।

20. अंतरंग तथा बाह्य उपचार के लिए अलग-अलग दावे तैयार नही किये गऐ है।

21- प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी (AMA) के भर्ती किए जाने के परामर्श के उपरान्त भी रोगी द्वारा बाह्य रोगी विभाग में उपचार करवाया इस प्रकार के मामलें में दावा प्रतिपूर्ति प्राधिकृत नही है (भारत सरकार का निर्णय 1(ii) सी0एस0एम0ए0 नियम के नियम-6)

22- समान चिकित्सक के द्वारा उसी रोगी को उसी रोग के लिए प्रथम बार प्रदान किए गए परामर्श के पश्चात के प्रत्येक परामर्श को अनुवर्ती परामर्श माना जाएगा तथा प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी (AMA) के परामर्श कक्ष में उपचार की न्यूनतम दर से भुगतान किया जाएगा तथा निजी चिकित्सक के पास लिए गए परामर्श के लिए यह अवधि 10 दिवस तक सीमित है, इसमें दो परमर्शो के मध्य के समय पर विचार नही किया जाएगा।

23. कैश मीमो पर संदेह होने पर दावा लौटाया जा सकता है, दुकान के अस्तित्व होने तथा बिक्री कर विभाग में पंजीकृत होने के बारे में आश्वस्त होने के लिए स्थानीय व्यावसायिक कर प्राधिकारी से भी संदर्भ प्राप्त किया जा सकता है।

24- दावा अनुबंधित अवधि अर्थात अग्रिम की स्थिति में एक.... माह अन्यथा तीन माह तक प्रस्तुत नही किया गया है दावा कालातीत मंजूरी (Time Bar Sanction) की स्थिति में ही लेखा परीक्षा के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा। (सी0एस0एम0ए0 नियम का परिशिष्ठ)

25. वे औषधियाँ जो एलोपैथिक उपचार से संबंधित नही है उन्हें अनुमोदित फार्मेसी/प्रतिष्ठान, उनके प्राधिकृत डीलर से नही खरीदा गया है।

26- नियंत्रण अधिकारी सी0एस0एम0ए0 नियम परिशिष्ठ-XII, केन्द्र सरकार चिकित्सा नियमावली सी0एस0एम0ए0 नियमावली में उल्लिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असमर्थ है।

27- पति-पत्नि दोनों के ही सरकारी सेवा में होने पर संयुक्त घोषणा पत्र संलग्न नही है। (सी0एस0एम0ए0 नियम, अध्याय-4(ई)8)

28- औषधियों की सूची बडे अक्षरो (Capitical Letters) में नही लिखी गई है।

29- औषधियाँ प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के परामर्श के 24 घंटे के पश्चात खरीदी गई है।

30. जयपुर में होने की स्थिति में यह सूचित नही किया गया हैै कि क्या दावाकर्त्ता सी0जी0एच0एस0/सी0एस0एम0ए0 के नियमों के अधीन आता है।

31. पूरक बिल/परिशिष्ट 'अ' दावों के साथ बना कर भेजना अति आवश्यक है।

32. लंबी अवधि तक निरन्तर इलाज चलने की स्थिति में प्रत्येक बिल के साथ ये जानकारी भी अवश्य दे कि:-

(क) अमुक व्यक्ति का इलाज अमुख तारीख से निरन्तर चल रहा है।

(ख) अमुख समयावधि तक का दावा पहले ही भेजा जा चुका है।

(ग) वर्तमान दावे की समयावधि ..... से ..... तक है।

33- जिन कर्मचारियों के चिकित्सा दावे भुगतान के लिए भेजे जा रहे है उनके लिए एक रजिस्टर खोला जायें। (For form and other details please refer Govt. of India (other) decision No. 10 under rule 11 of CSMA Rule-1944)

Reimbursemt of Medical Charges

Sl. No.	Name of the Patient	Relationship with the Govt. servan	Name of the disease	Name of the Doctor	Consultation fee	Injection fee	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Period of Claim	Name of the Chemist	Cost of medicines purchased	Amount passed for payment	Progressive total	Pathological charges	Remarks
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)